न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना, (जिला बाड़मेर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्री लाखाराम (आर.ए.एस.)

राजस्व आवेदन संख्या :– 119/2021

प्रार्थीगण

1.डूंगराराम पुत्र लूंबाराम जाति मेघवाल निवासी मांगता तहसील धोरीमना।

बनाम

विप्रार्थीगण

1. पारसमल पुत्र शेराराम
2. फफू देवी पत्नी शेराराम
3. भूराराम पुत्र लुम्भाराम
4. रेशमाराम पुत्र शेराराम जाति मेघवाल निवासी मांगता तहसील धोरीमना
5. तहसीलदार धोरीमना
6. उप पंजीयन धोरीमना

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा।

तारीख रजू:– 23/12/21

अधिवक्तागण:–

01. श्री ओमप्रकाश विश्नोई एवं खेताराम पुनड़, अधिवक्ता प्रार्थीगण
02. श्री देवाराम चौधरी, अधिवक्ता अप्रार्थी सं 1 ता 4

–::निर्णय::–

दिनांक:– 05/01/24

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री खेताराम पुनड़ द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने विप्रार्थीगण के विरुद्ध एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी एवंम विप्रार्थीगण संख्या 01 से 04 तक संरुक्त खातेदारी एवं पैतृक खेत मौजा मेघवालों का तला पटवार मंडल मांगता तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर में खसरा संख्या 423,380,590/380 रकबा 8.4741,10.9427,3.2375 हैक्टेयर यानि 50–04,67–04,20–00 बीघा का आया हुआ है। वर्तमान जमांबदी एवं आंशिक नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति संलग्न पेश है। विवादित भूमि प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 4 को पैतृक रूप में प्राप्त हुई थी जिस पर वक्त सेन्टलमेट प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 4 के पूर्वज ... काश्त था उनके नाम से पर्चा लगान जारी हुआ तथा उनके फौत होने पर प्रार्थी एवं विप्रार्थी 1 से 4 का संयुक्त रूप से नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया ... विप्रार्थी संख्या 1 से 4 संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है विवादित आराजी में प्रार्थी का 1/... हिस्सा विप्रार्थी संख्या 1,2,4 का

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:32:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना

05/01/24

Scanned with OKEN Scanner

व विप्रार्थी संख्या 3 का हिस्सा 1/3 प्रत्येक का हिस्सा खातेदारी अधिकारों का है। वह इसी हिस्सों के मालिक वादी एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 4 विवादित भूमि पर काबिज है। तथा अपनी रहवासी ढाणियां चारवाडे, पशुबाडे व टांके बने हुए है। विवादित भूमि वर्तमान में राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 4 के नाम संयुक्त रूप से दर्ज है। तथा वर्तमान में राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 4 के बीच में हिस्से पूर्ण रूप से खुले हुए नही होने के कारण खेत के हिस्सों को लेकर विवाद रहता है। तथा मौके पर भूमि का मौखिक रूप से बटवारा होने से प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य भूमि के सेढों को लेकर झगड़ा रहता है। एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 4 प्रार्थी के हिस्से की कृषि भूमि एवं उसके कब्जे काश्त में लगातार बेदखल अन्दाजी कर रहे है व पुराने मौखिक बटवारे अनुसार कायम सेढे को तोड़ रहे है। इस तथ्य को लेकर प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य तनाव की स्थिति बनी रहती है इसलिए प्रार्थी वादग्रस्त खेत में विप्रार्थी संख्या 1 से 4 की सामलती भूमि में से अपने 1/3 हिस्से की भूमि घोषित करवाने का विधिक अधिकारी है जिस हेतु यह वाद खातेदारी घोषणा का पेश है। विप्रार्थी संख्या 1 से 4 के द्वारा सामलाती भूमि को बैचान करने तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप कर प्रार्थी को जबरन बेदखल करने पर प्रयासरत है, जबकि भूमि का विधिवत रूप से बंटवाड़ा नही किया होने के कारण सामलाती भूमि में बैचान करने व प्रार्थी को बेदखल करने के अधिकारी नही है क्योंकि सामलाती भूमि पर प्रत्येक पक्षकार का प्रत्येक ईंच पर समान हक व हिस्सा होता है तथा साथ ही प्रार्थी के हिस्से की कब्जे काश्त की भूमि में मौखिक बंटवाड़े करने पर आमदा है तथा मौके की स्थिति भारी रद्दोबदल करने पर आमदा है। यदि ऐसा करने में विप्रार्थीगण सफल हो गये तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में सम्भव नही है। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है क्योंकि प्रार्थी वादग्रस्त भूमि के रेकार्ड खातेदार है जिनकी संयुक्त खातेदारी उन्हे पैतृक सम्पति के रूप में प्राप्त हुई है जिस पर प्रार्थी का कब्जा काश्त लगातार निबधि रूप से चला आ रहा है तथा वादग्रस्त भूमि में पक्षकारन के मध्य न तो हिस्से खुले हुए है तथा उनका विधिवत रूप से बंटवाड़ा किया हुआ है। जिससे विप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को जबरन बेदखल करने वे प्रार्थी को असुविधा होगी। कि शेष वजुहात वक्त बहस निवेदन किये जायेगा। अतः अस्थायी निशेधाज्ञा का आवेदन पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर मौजा मेघवालों का तला पटवार मडंल मांगता तहसील धोरीमना में खसरा संख्या 423,380,590/380 रकबा 8.4741,10.9427,3.2375 हैक्टेयर यानि 50–04,67–12,20–00 बीघा में प्रार्थी के कब्जा काश्त में विप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखल अन्दाजी, हस्तक्षेप, बैचान व बाधा कारित नही करें, तथा न दी प्रार्थी को बेदखल करने की कोशिश करें तथा न ही भूमि का बैचान , हन आदि नही करें, मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थी के पक्ष में एवं विप्रार्थीगण के विरूद्व जारी की जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व अप्रार्थीगण को जरीए रजिस्ट्रर्ड डाक से तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदन पत्र के पद संख्या 01 गलत व अस्वीकार होने का जबाब यह हैं कि प्रार्थी इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:32:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जिला-बाड़मेर
सत्यमेव जयते

5/01/24
सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

Scanned with OKEN Scanner

वाद में सफलता मिलने की कोई सम्भावना नहीं है। आवेदन के पद संख्या 02 रेकर्ड मुजब होने से सही है। आवेदन के पद संख्या 03 सही है। आवेदन पत्र के पद संख्या 04 गलत व अस्वीकार होने से जबाब यह हैं कि विवादित भूमि में प्रार्थी का हिस्सा दस्तावेजों से दौराने दावा साक्ष्य से साबित करे। आवेदन पत्र के पद संख्या 05 गलत व अस्वीकार होने से जबाब यह हैं कि विवादित भूमि वर्तमान में राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 01 से 04 के नाम संयुक्त रूप से दर्ज है यह बात सही है। हिस्सो को लेकर कोई विवाद नही है मौके पर भूमि का बाई मिण्डस एण्ड बाउण्ड बंटवारे का सभी खातेदार हकदार है शेष तथ्य गलत है। आवेदन पत्र के पद संख्या 06 गलत व अस्वीकार होने से जबाब यह हैं कि विप्रार्थी संख्या 01 से 04 द्वारा सामलाती भूमि को बेचान करने व प्रार्थी के कब्जे का''त में हस्तक्षेप करने की बात गलत है विप्रार्थी रेकर्डेड खातेदार है अपने हक व हिस्से की बेचान करने का सभी खातेदारों का हक होता है। प्रार्थी को अपूर्णिय क्षति नही होगी। प्रार्थी सभी खातेदारों को पाबन्ध करने का अधिकारी नहीं हैं केवल मात्र अपने हक हिस्से को सुरक्षा करने का अधिकार हैं आवेदन पत्र के पद संख्या07 गलत होने से अस्वीकार का जबाब यह हैं कि सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं है क्योंकि प्रार्थी वादग्रस्त भुतम के रेकॉर्ड खातेदार हैं लेकिन विप्रार्थी भी सह खातेदार है एक सह खातेदार को दुसरा सह खातेदार पाबन्ध नहीं करवा सकता है। प्रार्थी का आवेदन खारीज योग्य है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा मनगढ़त तथ्यों के आधार पर विप्रार्थी को तंग व परे''ाान, करने नियत से हसतगत आवेदन पत्र पे''ा किया हैं विप्रार्थीगण प्रार्थी को अपने हक हिस्सों से वंचित करना चाहता हैं प्रार्थी अस्थाई स्थगन एक तरफा आदेश प्राप्त कर विप्रार्थीगण पर दबाव डालने पर उतारू हैं। अतः श्रीमान्‌जी से निवेदन हैं कि विप्रार्थी संख्या 01 से 04 का जबाब रेकर्ड पर लेकर एक तरफा स्थगन आदेश दिनांक 23.12. 2021 व प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना खारीज फरमाने का आदेश प्रदान करावें। एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 04 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थीगण के कथनों को दोहराया गया।

हमने बहस विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पर विस्तारपर्वूक सुनी, हमने पत्रावली एवं उस पर राजस्व अभिलेखों का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया, दौरान बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा आर.आर.टी. 2022(1) पेज 114 एवं डी.एन.जे.(rev) 2022(1) पेज 847 प्रस्तुत किये जिनका हमने सम्मान पूर्वक अध्ययन कर मार्गदर्शी सिद्वान्त के रूप में उपयोग किया। हम प्रकरण का अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते हैं :–

1– प्रथम दृष्टया मामला :– इसका अर्थ यह कतई नही है कि मामला पूर्णतया साबित कर दिया जाए, क्योकि यह साक्ष्य का विषय है। प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का [illegible] आधार प्राप्त है तथा प्रार्थीगण को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त है।

उपयुक्त प्रार्थना पत्र के अवलोकन तथा प्रस्तुत [illegible] प्रार्थना पत्र तथा राजस्व अभिलेखों की प्रतिलिपियों के आधार पर यह स्पष्ट है कि राजस्व ग्राम मेघवालों का तला पटवार मंडल

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:42:57 IST
Reason: SelfAttested

05/01/24
सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

Scanned with OKEN Scanner

मांगता तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर में खसरा संख्या 423,380,590/380 रकबा 8.4741,10.9427,3.2375 हैक्टेयर यानि 50–04,67–04,20–00 बीघा आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 व 04 की सहखातेदारी की अविभाजित सामलाती है जिसमें से प्रार्थी का संयुक्त रूप से ग्राम मेघवालों का तला के खाता संख्या 45 खसरा संख्या 380,590/380, क्षेत्रफल 10.9427,3.2375 कुल क्षेत्रफल 14.1802 हैक्टयेर किस्म बारानी सोयम , बारानी सोयम में वादी का 601/1782 हिस्सा यानि क्षेत्रफल 4.7824 हैक्टेयर , प्रतिवादी संख्या 01,02,04,का 290/891 हिस्सा यानि क्षेत्रफल 4.6154 हैक्टेयर प्रतिवादी 03 का 601/1782 हिस्सा खसरा संख्या 423 क्षेत्रफल 8.4741 में प्रतिवादी 1,2,4 का 1/3 प्रतिवादी 3 का 1/3 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। चूंकि मूल वाद में प्रार्थी द्वारा 1/3 हिस्से की घोषणा ही चाही है तथा वर्तमान में प्रार्थी का खसरा संख्या 423 में 1/3 हिस्सा व खसरा संख्या 380,590/380 में 601/1782 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। अतः हस्तगत वादपत्र विशुद्व रूप से बंटवाड़ा का है।

अतः प्रार्थी का वाद सहखातेदारी की अविभाजित भूमि के बंटवाड़े से ही संबंधित है और अपने हिस्से से अधिक भूमि की न तो घोषणा हो सकती है और न ही विभाजन। अतः हिस्से से अधिक भूमि के संबंध में वादी/प्रार्थी का कोई अधिकार नही है, प्रार्थी का अधिकार केवल अपने हिस्से तक ही सीमित है इसलिए प्रथमदृष्टया मामला प्रार्थी के हिस्से से अधिक साबित हो ही नही सकता। अतः प्रथमदृष्टया मामला केवल प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होता है।

2. सुविधा का संतुलन :– अस्थाई व्यादेश के प्रकरण में सुविधा के संतुलन एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण घटक है इसका सामान्य तात्पर्य यह है कि यानि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया तो वादीगण/प्रार्थीगण को अधिकतम असुविधा होगी या नहीं।

चूंकि वादी/प्रार्थी स्वयं ने कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी में मेरा 1/9 हिस्सा है अर्थात वर्तमान राजस्व अभिलेखों में वादी के हिस्सों को जोड़ने पर खसरा संख्या 423 में 1/3 हिस्सा व खसरा संख्या 380,590/380 में 601/1782 हिस्सा बनता है। एवं खसरा संख्या 380,590/380, क्षेत्रफल 10.9427,3.2375 कुल क्षेत्रफल 14.1802 हैक्टयेर किस्म बारानी सोयम , बारानी सोयम में वादी का 601/1782 हिस्सा यानि क्षेत्रफल 4.7824 हैक्टेयर , प्रतिवादी संख्या 01,02,04,का 290/891 हिस्सा यानि क्षेत्रफल 4.6154 हैक्टेयर प्रतिवादी 03 का 601/1782 हिस्सा खसरा संख्या 423 क्षेत्रफल 8.4741 में प्रतिवादी 1,2,4 का 1/3 प्रतिवादी 3 का 1/3 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। चूंकि मूल वाद में प्रार्थी द्वारा 1/3 हिस्से की घोषणा ही चाही है तथा वर्तमान में प्रार्थी का खसरा संख्या 423 में 1/3 हिस्सा व खसरा संख्या 380,590/380 में 601/1782 हिस्सा है। लिहाजा वादी/प्रार्थी किस आधार पर कह सकता है कि सम्पूर्ण आराजी का सुविधा का संतुलन उनके पक्ष में है, वादी/प्रार्थी अपने–अपने हिस्सों से बाध्य है, तथा वे अधिकतम अपने हिस्से तक उपयोग/उपभोग आराजी का कर सकते है और हिस्से से अधिक यानि उन सहखातेदारों को केवल वादी/प्रार्थी की प्रार्थना पर उनको बाध्य करना काश्तकारों के प्राथमिक अधिकारों के उपयोग में अनावश्यक दखल की श्रेणी में आता है। अतः सुविधा के संतुलन को प्रार्थीगण अपने पक्ष में साबित करने में पूर्णतः असफल रहे है।

3– अपूरणीय क्षति :– प्रार्थी का यह कथन कि वादग्रस्त आराजी का आगे अजनबी क्रेता को बेचान हो गया तो प्रकरण में जटिलता आ जाएगी तथा मौके की स्थिति में परिवर्तन आ जाएगा। प्रथम तो वादग्रस्त आराजी सहखातेदारी की अविभाजित भूमि है तथा प्रत्येक सहखातेदार को अपने–अपने हक हिस्से तक की आराजी का उपयोग एवं उपभोग करने का पूर्ण रूप से प्राथमिक अधिकार है अगर ऐसे काश्तकार को न्यायालय के आदेश से प्राथमिक अधिकारों से वंचित किया जाता है तो अपूरणीय क्षति प्रार्थी को नहीं होकर [illegible] से प्रार्थी को किस प्रकार की क्षति होगी इसे प्रार्थी साबित नहीं कर पाए हैं, [illegible] सहखातेदार यदि अपनी हक हिस्से की आराजी का बेचान करेगा तो अपने हिस्से [illegible] से अधिक का बेचान और उपयोग/उपभोग कर ही नहीं सकता तथा अधिकतम [illegible] आराजी का बेचान/अंतरण हो भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:32:57 IST
Reason: SelfAttested

5/6/24
सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

Scanned with OKEN Scanner

जाता है तो उसकी जगह नया क्रेता आ जाएगा तथा अप्रार्थी के स्थान पर नया क्रेता वादपत्र में पक्षकार बन जाएगा अतः हम संतुष्ट नहीं होते हैं कि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो जाएगी अतः अपूरणीय क्षति के बिन्दु को प्रार्थी साबित करने में पूर्णतया असफल रहेंगे।

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी अस्थाई व्यादेश के तीन मूलभूत सारतत्वों यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति को साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है लिहाजा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को हम इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार किया जाना उचित एवं विधिसंगत समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र वादी/प्रार्थी अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई व्यादेश भलीभांति/बखूबी साबित नहीं होने तथा सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

05/01/24

(लाखाराम RAS)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,
धोरीमना, बाड़मेर

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना

निर्णय आज दिनांक 05/01/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

05/01/24

(लाखाराम RAS)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,
धोरीमना, बाड़मेर

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:32:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner